

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:एफ.16(1)(93)सामा./आईसीडीएस/13/१७३५

जयपुर,दिनांक: ११/११/१९

आ दे श

समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित वर्ष में परीक्षा देने की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

- १ शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- २ राजसेवक का पदस्थापन अद्याध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- ३ प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- ४ विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये विना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ५ जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- ६ अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- ७ अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
- ८ अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
- ९ परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- १० प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति विना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतः सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन सेवारत अधिकारी/कर्मचारीगण जिन्हें अध्ययन की अनुमति दी गई है, उनकी समीक्षा करें एवं उनके शिक्षण संस्थानों से उनके अध्ययन और संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त करें। यदि अधिकारी/कर्मचारीगण शैक्षणिक संस्थानों के अनिवार्य वांछित शर्तों के साथ-साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री / प्रमाण-पत्र को अमिलेख पर नहीं लिया जाये ओर अपचारी राजसेवक के विरुद्ध वृहद-शास्ती हेतु अनुशासनिक कार्यवाही कर सूचना अति.निदेशक (शिशु) मुख्यालय को देंगे।

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	पदस्थापन स्थान	अग्रिम अध्ययन का वर्ष (परीक्षा का नाम)
1	रवि शर्मा	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी छोटी सादडी,(चितौडगढ़)	बी.ए.2016-17 एवं 2017-18
2	जयदीप मेघवाल	कनिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना अधिकारी आसपुर (झंगरपुर)	एम. कोम. अंतिम वर्ष 2018-19
3	लोकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना अधिकारी बसेडी (धौलपुर)	बी.ए.द्वितीय वर्ष 2018-19
4	हेमराज रेगर	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी बसेडी (धौलपुर)	बी.ए.अतिरिक्त 2018-19
5	दिलैप सिंह	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी झाडौल (उदयपुर)	एम.ए.अंतिम वर्ष 2018-19
6	निखिल कुमार महर्षि	कनिष्ठ सहायक	उपनिदेशक (चुरु)	एम.ए. प्रीवियस 2018-19
7	नोरांग सिंह	च.श्रेणी.कर्मचारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी,सांभरलेक (जयपुर)	सी.सेकण्डरी स्वयंपाठी 2018-19
8	पंकज चौपडा	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी सांभरलेक (जयपुर)	बी.ए.द्वितीय वर्ष 2018-19
9	मगन लाल डामोर	च.श्रेणी.कर्मचारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बागीदोरा (बासंवाडा)	दसवी स्वयंपाठी 2018-19
10	हीरेश कुमार	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी ऋषभदेव (उदयपुर)	एम.ए. अंग्रेजी 2018-19
11	अनुपमा हाडौतिया	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी आसीन्द (भीलवाडा)	एम.ए. प्रीवियस (समाजशास्त्र) 2018-19
12	ममता शर्मा	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी आसीन्द (भीलवाडा)	बी.ए. अतिरिक्त (संस्कृत) 2018-19

13	पुष्पा शर्मा	महिला पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना अधिकारी (अरनोद)	एम. ए. (हिन्दी) स्वयंपाठी 2018-19
14	शशिकान्त गुप्ता	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी पीपलखूंट (बांसवाड़ा)	एम. ए. प्रीवियस स्वयंपाठी 2018-19
15	कुमुम गुर्जर	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी पीपलखूंट (बांसवाड़ा)	एम. ए. अन्तिम वर्ष 2018-19
16	श्री रामसिंह	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी तारानगर, (चुरू)	एम.ए. अन्तिम वर्ष हिन्दी 2019
17	श्री रणजीत	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी तारानगर, (चुरू)	एम.ए. अन्तिम वर्ष हिन्दी 2019 स्वयंपाठी
18	श्रीमती सरोज	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी तारानगर, (चुरू)	एम.ए. अन्तिम वर्ष हिन्दी 2019 स्वयंपाठी
19	श्रीमती सविता मीणा	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी सराडा (उदयपुर)	एम. ए. प्रीवियस 2018-19 स्वयंपाठी
20	लक्ष्मी कुमारी डामोर	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी ऋषभदेव (उदयपुर)	एम. ए.समाजशास्त्र अन्तिम वर्ष 2018 -19 स्वयंपाठी
21	महेश कुमार शर्मा	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी सलूम्बर (उदयपुर)	एम. ए.समाजशास्त्र अन्तिम वर्ष 2018 -19 स्वयंपाठी
22	श्री हरिराम	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी <u>न्हृक ग्रामीण</u> <u>(न्हृक)</u>	एम. ए.-इतिहास (पूर्वाद्ध) (स्वयंपाठी) परीक्षा 2018 -19
23	श्री दिलीप	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी <u>न्हृक ग्रामीण</u> <u>(न्हृक)</u>	एम.ए. - संस्कृत (पूर्वाद्ध) (स्वयंपाठी) परीक्षा 2018 -19
24	श्री अनिल कुमार रणवा	पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	बाल विकास परियोजना अधिकारी <u>न्हृक ग्रामीण</u> <u>(न्हृक)</u>	एम. ए.-इतिहास (पूर्वाद्ध) (स्वयंपाठी) परीक्षा 2018 -19


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 16(1)(93) सामा / आईसीडीएस / 13 / ७७३६ - ७९२ जयपुर, दिनांक: ११/११/१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ----- |
- 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी, ----- जिला ----- |
- 3 संबंधित श्री/ श्रीमती ----- पद ----- द्वारा परि. ----- जिला ----- |
4. एसीपी, मुख्यालय को वेवसाइड पर अपलोड करने बाबत |
- 5 आदेश पत्रावली |

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।